राधिका झा I.A.S
राज्य परियोजना निदेशक

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग रायपुर, देहरादून
दूरभाष 0135-2781941, 42, 43
website: http://ssa.uk.gov.in
email - spd-ssa-uk@nic.in

अति आवश्यक/फैक्स/ई–मेल /आज ही

सेवा में,

समस्त जिला परियोजना अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : रा0प0नि0/ 1600 /नि0का0–समीक्षा (05)/2013–14 दिनांक 23 अक्टूबर, 2013

विषय : निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 के शीघ्र कार्यान्वयन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण एवं वृहद मरम्मत हेतु भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 में स्वीकृत निर्माण कार्यों की अनुमोदित छायाप्रति आपको पूर्व में ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। पी0ए0बी0 द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्या रा0प0का0/1444/लेखा–02 (ध0आ0/2013–14 दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 द्वारा प्रथम चरण में रू0 914.11 लाख की धनराशि जनपदों को प्रेषित की जा चुकी है (संलग्न पत्र की छायाप्रति)। पी0ए0बी0 द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र जिला बेसिक शिक्षा समिति एवं जिला परियोजना समिति से यथा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर तत्काल निर्माण कार्य एस0एस0ए0 फ्रेमवर्क व वित्तीय संदर्शिका के अनुसार प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों को निर्धारित समय से पूर्ण करने तथा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या रा0प0नि0/731/नि0का0–समीक्षा (05)/2012–13 दिनांक 13 जून, 2012 एवं रा0प0नि0/1861/नि0का0–समीक्षा (05)/2012–13 दिनांक 25 जून, 2012 एवं रा0प0नि0/1832/ नि0का0–निरीक्षण (21)/2012–13 दिनांक 28 सितम्बर, 2012 द्वारा आपको समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जा चुके हैं। उक्त पत्रों का संदर्भ ग्रहण कर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 के अनुमोदित निर्माण कार्यों की प्रगति एवं अनुश्रवण हेतु आपको निम्नवत् निर्देश दिये जा रहे हैं–

1– वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 में स्वीकृत प्राविधानों के अन्तर्गत ही व्यय एवं निर्माण कार्य करवाये जाये।

2– निर्माण कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का भलीभाँति मिलान कर लें। यदि इसमें कोई विसंगति प्राप्त होती है तो तत्काल राज्य परियोजना कार्यालय को सूचित करें। वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 में स्वीकृत पुर्ननिर्माण, वृहद मरम्मत की सूची आपको ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। सम्बन्धित सूची पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

3– पुनर्निर्माण किये जाने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्राप्त कर लिया होगा, इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी तत्काल उपलब्ध करायें।

4– विद्यालयों के पुनर्निर्माण हेतु सी0बी0आर0आई0, रूड़की द्वारा निर्मित डिजायन एवं राज्य स्तरीय

क्रमशः

तकनीकी अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 21.10.2013 में अनुमोदित डिजायन एवं मॉडल आगणन की प्रति आपके जनपद के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध करा दी गयी है। मॉडल आगणन की सहायता से जनपद एस0ओ0आर0 के आधार पर प्रत्येक विद्यालय हेतु वास्तविक आगणन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत अभियन्ताओं द्वारा तैयार कराये जायेंगे।

5— शासन के पत्र संख्या 1042/नि0का0/दै0आ0/2013—14 दिनांक 23 अगस्त, 2013 के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित निर्माण कार्यों के अनुश्रवण, तकनीकी सहयोग, निष्प्रयोज्य प्रमाण—पत्र निर्गत करने, पुनर्निर्माण एवं वृहद मरम्मत आगणन के प्रतिहस्ताक्षर व तकनीकी स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है, तद्नुसार वास्तविक आगणनों को नोडल एजेंसी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अभियन्ताओं से तकनीकी स्वीकृति 26 अक्टूबर, 2013 तक प्राप्त करते हुए शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करायें। वास्तविक आगणनों के आधार पर स्वीकृत धनराशि यदि कम या अधिक होती है तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

6— जनपद उत्तरकाशी एवं टिहरी के विद्यालयों का पुनर्निर्माण एवं वृहद मरम्मत रोटरी उत्तराखण्ड आपदा राहत ट्रस्ट के द्वारा किया जाना है। अतः इस हेतु रोटरी को यथावांछित पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

7— जनपद टिहरी के 08 विद्यालयों का पुनर्निर्माण सी0आई0आई0 द्वारा किया जाना है। अतः सी0आई0आई0 को इस हेतु यथावांछित पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

8— विद्यालय भवनों का निर्माण राज्य स्तरीय तकनीकी अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा अनुमोदित डिजायनों के अनुरूप किया जाना है। कक्षा—कक्षों के कवर्ड (Cupboard) में पारदर्शी फाइबर शीट एवं शौचालय के छत पर 500 ली0 पानी की टंकी (With High Density Plastic) लगायी जानी आवश्यक है। उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थिति, निर्माण सामग्री की सुलभता एवं Cost effectiveness के आधार पर विद्यालय भवनों की छत यथावांछित Puf insulated GI sheet with truss अथवा RCC Slab से बनायी जा सकती है।

9— जैसा कि आप विदित हैं कि शासन के पत्र संख्या रा0प0का0/1208/दै0आ0(32)/2013—14 दिनांक 09 सितम्बर, 2013 के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण एवं वृहद मरम्मत हेतु जनपद एवं राज्य स्तरीय तकनीकी अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। तद्नुसार जनपद स्तरीय तकनीकी अनुश्रवण समिति के साथ आवश्यक विचार—विमर्श एवं समन्वय स्थापित कर अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

10— पुर्ननिर्माण हेतु सम्बन्धित विद्यालयों का निष्प्रयोज्य प्रमाण—पत्र नोडल एजेन्सी से प्राप्त कर इसकी एक प्रति राज्य परियोजना कार्यालय को भी उपलब्ध करायें।

11— पुनर्निमार्ण हेतु स्वीकृत विद्यालय भवनों की पुरानी सामग्री की नीलामी एवं ध्वस्तीकरण हेतु शासनादेश संख्या 1163/XXIV (1)/2011 शिक्षा अनुभाग—1 (बेसिक) दिनांक 17 नवम्बर, 2011 का पालन करना सुनिश्चित करें। नीलामी से प्राप्त आय एवं कोषागार में जमा धनराशि का विवरण निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायें। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त शासनादेश की छायाप्रति पुनः ई—मेल द्वारा प्रेषित की जा रही है।

12— निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य के कुशल नियोजन हेतु पुनर्निर्माण एवं वृहद मरम्मत कराये जाने वाले विद्यालयों के विद्यालय प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव की एक दिवसीय कार्यशाला जनपद स्तर पर दिनांक 01 नवम्बर, 2013 तक अनिवार्य रूप से आयोजित कर ली जाये। कार्यशाला हेतु श्रव्य दृश्य उपकरणों

क्रमशः

से सुसज्जित सभागार का उपयोग किया जाये। कार्यशाला में मार्गदर्शन हेतु जनपद स्तरीय तकनीकी अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष, जिलाधिकारी एवं नामित सदस्यों को भी आमंत्रित कर लिया जाये। कार्यशाला का आयोजन निम्नवत् चार सत्र में सम्पादित होगा।

प्रथम सत्र– तकनीकी सत्र के अन्तर्गत पुनर्निर्माण के डिजायनों एवं आगणनों का प्रस्तुतीकरण तथा जिज्ञासा निराकरण किया जायेगा। इस सत्र हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता तकनीकी विशेषज्ञ होंगे।

द्वितीय एवं तृतीय सत्र– प्रशासनिक एवं वित्तीय प्राविधानों, नियमों की जानकारी दी जायेगी। इस हेतु क्रमशः जिला परियोजना अधिकारी, जिला समन्वयक एवं वित्त एवं लेखाधिकारी (AAO) विषय विशेषज्ञ होंगे।

चतुर्थ सत्र– जिला परियोजना अधिकारी एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा जिला परियोजना अधिकारी द्वारा डिजायन, आगणन, दिशा–निर्देश एवं एम0ओ0यू0 की छायाप्रति पत्र के माध्यम से विद्यालय प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध करा कर प्राप्ति रसीद ली जायेगी।

13– पुनर्निर्माण/वृहद मरम्मत की धनराशि नियमानुसार जनपद स्तर से विद्यालय प्रबन्धन समिति के खाते में इलेक्ट्रानिक हस्तान्तरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा भी इस एक दिवसीय कार्यशाला प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जायेगा। सुलभ संदर्भ हेतु कार्यशाला की प्रस्तावित समय सारिणी संलग्न है। कार्यशाला से पूर्व ब्लॉक समन्वयक, जिला समन्वयक निर्माण एवं सामुदायिक सहभागिता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के साथ बैठक कर कार्यशाला की पूर्ण तैयारी सम्पन्न कर ली जाये।

14– निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं जिला परियोजना अधिकारी सम्बन्धित जनपद के मध्य एक दिवसीय के प्रशिक्षण के अन्तिम सत्र में समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य हैं। समझौता ज्ञापन में निर्माण कार्य का नाम, उपलब्ध धनराशि, कार्य पूर्ण किये जाने की अवधि एवं निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दण्ड का प्राविधान इत्यादि शर्तें स्पष्ट अंकित हो। एम0ओ0यू0 सम्पादन के उपरान्त तत्काल कार्यादेश निर्गत कर लिया जाये। एम0ओ0यू0 का प्रस्तावित प्रारूप संलग्न है।

15– सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय प्रबन्ध और अधिप्राप्ति नियमावली (Financial Managment and Procurment item) के प्रस्तर 116.6 (e) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित धनराशि का हस्तान्तरण निम्नवत् किया जाये–

अग्रिम (कार्य प्रारम्भ से लिन्टल स्तर तक)	–	कुल लागत का 75 प्रतिशत
प्लास्टर एवं कार्य पूर्ण होने पर	–	कुल लागत का 25 प्रतिशत

16– आपके जनपद से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की समयावधि एवं पाक्षिक भौतिक लक्ष्य का प्रस्तावित फ्लोचार्ट संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा हैं कि कृपया तद्नुसार पाक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें एवं पाक्षिक प्रगति आख्या से राज्य परियोजना कार्यालय को नियमित रूप से अवगत करायें। इस सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किसी प्रकार के अनुस्मारक देने की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

17– निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं निर्माण सामग्री का मानकानुसार प्रयोग किया जाये तथा निर्माण कार्यों

क्रमशः

का नियमित एवं प्रभावी अनुश्रवण एवं औचक निरीक्षण भी किया जाये। सी0.आर0सी0,बी0आर0सी0 एवं अवर अभियन्ताओं द्वारा निर्माणाधीन विद्यालयों के साप्ताहिक अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये।इसकी आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को भी नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाये। गुणवत्ता सुनिश्चितता निर्माण कार्य का एक अत्यावश्यक अवयव है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्थान चयन की गुणवत्ता, डिजायन की गुणवत्ता, निर्माण हेतु गुणवत्तापरक निर्माण सामग्री का प्रयोग, उत्तम निर्माण तकनीकी, विद्यालय प्रबन्धन समिति को प्रशिक्षण, निर्माण कार्यों का औचक एवं निरन्तर अनुश्रवण एवं निरीक्षण इत्यादि आवश्यक है। विकासखण्ड स्तर के अवर अभियन्ता द्वारा निम्न स्तरों का निर्माण कार्य आवश्यक रूप से अपने सम्मुख मानकानुसार निर्माण सामग्री का प्रयोग कर सम्पन्न कराया जाये।

1- नींव स्तर (Foundation Level) 2- प्लिंथ स्तर (Plinth Level) 3-लिन्टल स्तर (Lintel Level)

4- छत स्तर (Slab Level) 5- फिनिशिंग स्तर (Finishing Level)

उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि ट्रस/आर0सी0सी0 छत निर्माण के समय सम्बन्धित सहायक अभियन्ता आवश्यक रूप से निर्माण स्थल पर उपस्थित रहें एवं निर्माण से पूर्व की स्थिति, निर्माण के विभिन्न स्तरों एवं निर्माण सम्पन्न होने के उपरान्त के छायाचित्र सुरक्षित रखे जायें। साथ ही निर्माण सामग्री के सैंपल भी सुरक्षित रखे जायें। यदि निर्माण सामग्री अधोमानक प्रतीत हो तो निर्माण सामग्री का मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से परीक्षण कराने की कार्यवाही भी की जाये। जिला परियोजना अधिकारी एवं उनके तकनीकी स्टाफ द्वारा समय–समय पर औचक रूप से निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कर लिया जाये। साथ ही अपने जनपद के जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग इत्यादि से निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित कर लिया जाये। ध्यान रहे कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा है, इसमें किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न हो इस हेतु निर्माण कार्यों में उत्तम गुणवत्ता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

18– पारदर्शिता, गुणवत्ता सुनिश्चितता एवं जबावदेही के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में निम्नवत् दस्तावेजों का आवश्यक रूप से रख–रखाव सुनिश्चित कर लिया जाये।

(क) <u>माप पुस्तिका</u> (Measurement Book)– निर्माण कार्यों का भुगतान माप पुस्तिका के आधार पर आवश्यक रूप से कर लिया जाये।

(ख) <u>प्रतिदिन व्यय रजिस्टर का रख–रखाव</u>– इसके अन्तर्गत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित खरीदारी का ब्यौरा, श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज हो एवं प्रतिदिन व्यय पंजिका में वाउचर संख्या, खरीदारी का दिनांक, एजेन्सी का नाम, सामग्री का ब्यौरा, सामग्री की गुणवत्ता, सामग्री की इकाई लागत, भुगतान का प्रकार चैक अथवा नकद, भुगतान की धनराशि इत्यादि का समावेश आवश्यक रूप से कर लिया जाये एवं यह रजिस्टर सर्व शिक्षा अभियान के प्राधिकारियों को विद्यालय निरीक्षण/अनुश्रवण के दौरान उपलब्ध कराया जाये।

(ग) <u>प्रतिदिन सीमेन्ट रजिस्टर</u>– किसी भी निर्माण हेतु सीमेन्ट एक आवश्यक अवयव है। अतः सीमेन्ट रजिस्टर का रख–रखाव अवश्य कर लिया जाये। सीमेन्ट रजिस्टर में सीमेन्ट प्राप्ति का ब्यौरा, सीमेन्ट बैग की प्रतिदिन खपत, सीमैट किस हेतु उपयोग किया गया? जैसे– ईंटों की चिनाई, प्लास्टर, लिन्टल, स्लैब, फर्श इत्यादि। प्रतिदिन अवशेष सीमेन्ट का मिलान/सत्यापन सीमेन्ट भण्डार गृह से कर लिया जाये।

(घ) <u>आगन्तुक पंजिका</u>– विद्यालय में आगन्तुक पंजिका का रख–रखाव आवश्यक है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के प्राधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण/अनुश्रवण के दौरान अंकना की जायेगी। क्रमशः

19– सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को प्रदान किये जा रहे प्रशिक्षण में एक दिवसीय प्रशिक्षण निर्माण कार्य के सम्बन्ध में दिये जाने हेतु व्यवस्था कर ली जाये।

20– रैम्प–रेलिंग के निर्माण में मानकानुसार ढलान एवं रेलिंग का अवश्य उपयोग किया जाये।

21– निर्माण कार्यों के लिए जो धनराशि उपभोग की गयी हो, उनके उपभोग प्रमाण–पत्र तत्काल प्राप्त करवाने की भी व्यवस्था की जाये अन्यथा धनराशि अग्रिम के रूप में ही मानी जायेगी तथा व्यय में सम्मिलित नहीं मानी जायेगी। विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा विद्यालय भवन के बाहरी दीवार पर वर्षवार एवं मदवार आय–व्यय का विवरण, सोशल ऑडिट के उद्देश्यों को आवश्यक रूप से अंकित कर लिया जाये।

22– यदि विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं निर्माण कार्य हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता में कोई शिथिलता बरती जाती है तो विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

23– पिछले निर्माण कार्यों का भी प्रभावी अनुश्रवण किया जाये, जो कार्य अनारम्भ, हो उनकी विशेष समीक्षा कर समस्या का समाधान करवाया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने जनपद में निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 का शीघ्र कार्यान्वयन कर निर्माण कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 एवं 25 तारीख तक राज्य परियोजना कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करायें।

भवदीया

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(राधिका झा)
राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0सं0 : रा0प0नि0/ 1600 /नि0का0–समीक्षा (05)/2013–14 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, तपोवन रोड, रायपुर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के तकनीकी अनुश्रवण, निष्प्रयोज्य प्रमाण–पत्र निर्गत करने, आगणनों के प्रतिहस्ताक्षर एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल को इस निर्देश के साथ कि प्रत्येक पखवाड़े में उक्तवत् निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में भी स्वयं की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. विशेषज्ञ, नियोजन पटल, राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राधिका झा)
राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड, देहरादून।